



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06042026-271583
CG-DL-E-06042026-271583

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1671]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 6, 2026/ चैत्र 16, 1948

No. 1671]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 6, 2026/ CHAITRA 16, 1948

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अप्रैल, 2026

का.आ. 1738(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 5665(अ), तारीख 8 दिसंबर, 2025 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) के द्वारा, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 14 के खंड (क) के अधीन जारी की गई अधिसूचना में, अन्य बातों के साथ-साथ काउंटरटॉप इंडक्शन हॉब्स के लिए स्टार लेबलिंग हेतु प्रक्रिया और ऊर्जा खपत मानकों के मानदंड निर्दिष्ट किए थे;

और ऊर्जा दक्षता में सुधार के उद्देश्य से, इंडक्शन हॉब्स को 1 जुलाई, 2026 से अनिवार्य स्टार रेटिंग व्यवस्था के अंतर्गत लाया गया था;

और केन्द्रीय सरकार को यह समाधान हो गया है कि इंडक्शन हॉब्स के अनिवार्य चरण को छह महीने के लिए स्थगित कर सकेगी।

अंतः, अब, केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 14 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के परामर्श से, उक्त अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, पैरा 3 के उप-पैरा (2) की, सारणी 3.1 के शीर्ष में, "1 जुलाई, 2026" शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर "1 जनवरी, 2027" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे।

[फा. सं. 10/16/2020-EC]

धीरज कुमार श्रीवास्तव, मुख्य अभियन्ता

टिप्पण.- मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (ii) में अधिसूचना संख्या का. आ. 5665(अ), तारीख 8 दिसंबर, 2025 के द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF POWER

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th April, 2026

S.O. 1738(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Power number S.O. 5665(E), dated the 8th December, 2025, (hereinafter referred to as the said notification) issued under clause (a) of section 14 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), the Central Government, *inter alia*, specified the norms for process and energy consumption standards for the star labelling for countertop induction hobs;

And whereas in order to improve the energy efficiency, induction hobs were brought under the mandatory star rating regime applicable from 1st July, 2026 onwards;

And whereas the Central Government, being satisfied that the mandatory phase of the induction hobs may be postponed by six months.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of section 14 of the Energy Conservation Act, 2001, the Central Government, in consultation with the Bureau of Energy Efficiency, hereby makes the following amendment in the said notification, namely:-

In the said notification, in paragraph 3, in sub-paragraph (2), in the heading of Table 3.1, for the word, figures and letters “1st July, 2026”, the word, figures and letters “1st January, 2027” shall be substituted.

[F. No. 10/16/2020-EC]

DHIRAJ KUMAR SRIVASTAVA, Chief Engineer

Note: The Principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* notification number S.O. 5665(E), dated the 8th December, 2025.